दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.02.2020 का कार्यवृत्त

स्थानः कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष

समय अपरान्ह् 01.30 बजे

उपस्थितिः—

1.	प्रो0 वी0 के0 सिंह, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर	अध्यक्ष
2.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक, से0नि0 सिंचाई विभाग, लखनऊ	सदस्य
3.	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)	सदस्य
4.	~~कुलसचिव, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर~~	~~सदस्य~~
5.	परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
6.	वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सचिव

कार्य—वृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
   वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

2. विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्र 2020—21 पर विचार।
   सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्र 2020—21 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

3. प्रो0 सुषमा पाण्डेय, अध्यक्ष मनोविज्ञान विज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 31.01.2020 द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी में व्यय की गयी धनराशि के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
   वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रो0 सुषमा पाण्डेय, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय Life-Spam Human Development:Emerging Issues and Challenges. दिनांक सितम्बर, 15—16, 2019 में व्यय की गयी धनराशि रू0 1,50,000.00 (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) को सामान्य निधि खाते से किये जाने की संस्तुति की गयी।

4. प्रो0 अजय सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान के पत्र दिनांक 03.02.2020 द्वारा पर्यावरण विज्ञान के वार्षिक बजट सत्र 2020—21 पर विचार।
   सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रो0 अजय सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट सत्र 2020—21 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

5. प्रो0 अजय सिंह, समन्वयक, एम0एस0सी0 पर्यावरण विज्ञान के पत्र दिनांक 03.02.2020 द्वारा गेस्ट फेकल्टी का प्रति लेक्चर मानदेय बढ़ाने एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.06.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारी का वेतन प्रतिमाह रू0 10,500=00 से बढ़ाकर रू0 15,500=00 किए जाने पर विचार।
   प्रो0 अजय सिंह, समन्वयक, एम0एस0सी0 पर्यावरण विज्ञान के प्रेषित प्रस्ताव गेस्ट फैकल्टी का प्रति लेक्चर मानदेय रू0 250/— से बढाकर रू0 400/— किये जाने एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.06.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारी का वेतन/मानदेय रू0 10,500/— से बढाकर रू0 15,500/— किये जाने की संस्तुति की गयी।

6. प्रो0 सुषमा पाण्डेय, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 31.01.2020 द्वारा प्रयोगशाला मद में वृद्धि किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
   वित्त समिति द्वारा प्रो0 सुषमा पाण्डेय, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 31.01.2020 के माध्यम से प्रयोगशाला मद में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया गया।सम्यक विचारोपरान्त प्रयोगशाला मद में वृद्धि न किये जाने की संस्तुति की गयी।

F.O.

7. प्रो0 शिवाकान्त सिंह, अध्यक्ष, भूगोल विभाग के पत्र दिनांक 07.02.2020 द्वारा भूगोल विभाग के लैब ग्राण्ट बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

प्रो0 शिवाकान्त सिंह, अध्यक्ष, भूगोल विभाग के पत्र दिनांक 07.02.2020 पर विचार किया गया विचारोपरान्त लैब ग्राण्ट को न बढाये जाने की संस्तुति की गयी।

8. प्रो0 ए0 के0 तिवारी, अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 07.02.2020 द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय प्रशासन विभाग के एम0बी0ए0 एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति प्रो0 ए0के0 तिवारी, अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 07.02.2020 द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय प्रशासन विभाग के एम0बी0ए0 एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त उसे पारित करने की संस्तुति की गयी।

9. विधि सलाहकार श्री के0 के0 त्रिपाठी, श्री राजेश्वर पाण्डेय एवं श्री के0 के0 गौड़ के कुलपति जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 04.02.2020 द्वारा प्रत्येक को प्रतिमाह दिए जा रहे रिटेनरशिप फीस को बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति विधि सलाहकार श्री के0 के0 त्रिपाठी, श्री राजेश्वर पाण्डेय एवं श्री के0 के0 गौड के पत्र दिनांक 04.02.2020 द्वारा प्रत्येक को प्रति माह दिये जा रहे रू0 20,000/- रिटेनरशिप फीस को बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव पर भविष्य में विचार करने की सस्तुति की गयी।

10. प्रो0 हिमान्शु पाण्डेय, निदेशक यू0जी0सी0 ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेण्ड सेण्टर के पत्र दिनांक 06.02.2020 द्वारा श्री सुधाकर मिश्र, स्टेनो टाइपिस्ट/कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति प्रो0 हिमान्शु पाण्डेय, निदेशक यू0जी0सी0 ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेण्ड सेण्टर के पत्र दिनांक 06.02.2020 द्वारा श्री सुधाकर मिश्र, स्टेनो टाइपिस्ट/कम्प्यूटर आपरेटर के मानदेय वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव को अपनी परामर्शदात्री समिति से पारित कराकर यू0जी0सी0 गाइड लाइन के अनुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव अगले वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

11. अध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग के पत्र दिनांक 17.01.2020 द्वारा निम्नविन्दुओं को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विचार :-

(i) बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम के बजट सत्र 2019-20 पर विचार।

(ii) बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में अध्यापनरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

(iii) बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु रखे गये कार्यालय सहायक के मानदेय वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

अध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग के पत्र दिनांक 17.01.2020 द्वारा निम्न विन्दुओं को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा -

(i) बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम के बजट सत्र 2019-20 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

(ii) बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में अध्यापनरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय रू0 250/- से बढाकर रू0 400/- किये जाने की संस्तुति की गयी।

(iii) बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु रखे गये कार्यालय सहायक के मानदेय रू0 10,500/- को बढ़ाकर रू0 15,500/- किये जाने की संस्तुति की गयी।चतुर्थ श्रेणी के पद पर रखे गये आउटसोर्सिंग कर्मचारी का भुगतान बी0सी0ए0 मद से किया जायेगा।

F.O.

12. (क) परीक्षा नियन्त्रक के पत्र दिनांक 09.01.2020 द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09.12.2019 के विन्दु सं0 1 ङ(iv) निम्नलिखित निर्णय लिया गया है–

कार्यसूची परीक्षा के समय महाविद्यालय से नोडल सेण्टर तक उत्तरपुस्तिका पहुचाने का व्यय रू0 7.00 से 12.00 करने पर विचार।

निर्णय समिति ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि प्रकरण को वित्त समिति को संदर्भित किया जाय, पर विचार।

वित्त समिति द्वारा परीक्षा नियन्त्रक के प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचारोपरान्त परीक्षा के समय महाविद्यालय से नोडल सेण्टर तक उत्तर पुस्तिकाओं को पहुचानें का व्यय रू0 7.00 से बढ़ाकर रू0 10.00 इस शर्त के साथ किया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षा के दृष्टिगत चार पहिया वाहन द्वारा नोडल केन्द्रों तक पहुचाया जाय। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की संस्तुति की गयी।

(ख) परीक्षा नियन्त्रक के पत्र दिनांक 10.01.2020 के द्वारा स्ववित्तपोषित शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की मॉग के अनुरूप परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्र से नोडल केन्द्र तक उत्तरपुस्ताओं को पहुँचाने हेतु अग्रिम धनराशि की मॉग पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र से नोडल केन्द्र तक उत्तरपुस्तिओं को पहुचाने हेतु केन्द्राध्यक्षों को केन्द्रों की दूरी के आधार पर अधिकतम रू0 10,000=00 (रू0 दस हजार) मात्र अग्रिम के रूप में दिये जानेकी संस्तुति की गयी। परीक्षा के उपरान्त केन्द्राध्यक्षों द्वारा समायोजन प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त नियमानुसार अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

13. डा0 कुसुम रावत के आवास सं0 एच–36 में वृद्धि इण्टरप्राइजेज द्वारा कराये गये विद्युत वायरिंग के भुगतान सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

वित्त समिति द्वारा डा0 कुसुम रावत के आवास सं0 एच–36 में वृद्धि इण्टरप्राइजेज द्वारा कराये गये विद्युत वायरिंग के भुगतान सम्बन्धी प्रकरण पर विचार किया गया। विचारोपरान्त उक्त कार्य से सम्बन्धित मूल पत्रावली विना प्राप्त हुए भुगतान न किये जाने की संस्तुति की गयी। साथ ही यह भी संस्तुति की गयी कि यदि भविष्य में कोई पत्रावली गायब होती है तो सम्बन्धित पटल सहायक की वेतन वृद्धि रोक दी जाय तथा ए0सी0पी0 आदि की सुविधाओं से बंचित रखा जाय। भविष्य में यदि इस तरह का प्रकरण पुनः आता है तो सम्बन्धित फर्म के भुगतान को न रोका जाय अपितु फर्म को भुगतान करके सम्बन्धित दोषी कर्मचारी के वेतन से उसकी वसूली कर ली जाय।

14. प्रो0 शान्तनु रस्तोगी, अध्यक्ष भौतिकी विभाग के पत्र दिनांक 30.01.2020 द्वारा अधोलिखित चार विन्दु पर प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया है, जिस पर विचार।

वित्त समिति द्वारा प्रो0 शान्तनु रस्तोगी, अध्यक्ष भौतिकी विभाग के पत्र दिनांक 30.01.2020 पर विचार किया गया। समिति द्वारा उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत् संस्तुति की गयी–

(i) विभाग के "National Symposium on Multidimensional Aspects of Spectrosocopy" **विषय पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) की सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार प्रतिपूर्ति की कार्यवाही कर भुगतान कर दिया जाय।**

(ii) विन्दु सं0 2, 3 एवं 4 को विकास समिति को संदर्भित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।

15. प्रो0 उषा सिंह, अध्यक्ष, ललित कला एवं संगीत विभाग के पत्र दिनांक 03.01.2020 द्वारा विभिन्न सरकारी/अर्धसरकारी/व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक चेक को विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग में बचत खाता खुलवाने की स्वीकृत सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।

F.O.

वित्त समिति द्वारा प्रो0 उषा सिंह, अध्यक्ष, ललित कला एवं संगीत विभाग के पत्र दिनांक 03.01.2020 पर विचार किया गया समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी कि ललित कला एवं संगीत विभाग के दृश्य कला के कलाकार छात्र/छात्राओं को विभिन्न सरकारी/अर्धसरकारी/व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा कलाकारों से कराये गये कलाकार्य के पारिश्रमिक की धनराशि का पूर्ण भुगतान सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को किया जाय, तथा उनके पारिश्रमिक से कोई कटौती न की जाय। साथ ही यह भी सहमति बनी की इस निमित्त कोई खाता संचालित न किया जाय।

16. विकास समिति की बैठक दिनांक 27.01.2020 के कार्यवृत्त के विन्दु संख्या 19 विश्वविद्यालय परिसर में जल गये 02 अदद 400 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कराने के पश्चात् मैं०संगम ट्रेडर्स, गोरखपुर के रू0 3,93,176.00 (रू0 तीन लाख तिरानबे हजार एक सौ छिहत्तर मात्र) के भुगतान पर विचार।

<u>निर्णय</u>—सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा इस प्रकरण को वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर संस्तुति प्रदान की गयी पर विचार।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में जले दो अदद 400 के0बी0ए0 ट्रान्सफार्मर रिपेयरिंग सम्बन्धी संगम ट्रेडर्स, गोरखपुर के रू0 3,93,176/— (रू0 तीन लाख तिरानबे हजार एक सौ छिहत्तर मात्र) के भुगतान प्रकरण पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में प्रकरण पर अवर अभियन्ता (विद्युत) से पत्रावली पर तथ्यपूर्ण आख्या और प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उन्हें निदेशित किया गया। वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह संस्तुति की गयी कि अवर अभियन्ता (विद्युत) के प्रस्ताव एवं कार्य प्रमाणन के आधार पर पत्रावली का पूर्ण परीक्षण कराकर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

17. प्रो0 मुरली मनोहर पाठक, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग के पत्र दिनांक 10.02.2020 द्वारा दिनांक 20—22 फरवरी, 2020 को होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भोजन एवं यात्रा भत्ता के सम्बन्धी भुगतान के लिए धन की मॉग के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति द्वारा प्रो0 मुरली मनोहर पाठक, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग के पत्र दिनांक 10.02.2020 द्वारा दिनांक 20—22 फरवरी, 2020 को होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भोजन एवं यात्रा भत्ता से सम्बन्धी प्रकरण पर विचार किया गया । विचारोपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के निमित्त रू0 1,50,000/— (रू0 एक लाख पचास हजार) मात्र सामान्य निधि से दिये जाने की संस्तुति की गयी।

18. विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 12.02.2020 द्वारा वेतन/मानदेय वृद्धि किए जाने की मॉग की है, जिस पर विचार।

वित्त समिति विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के कर्मचारियों के वेतन/मानदेय वृद्धि सम्बन्धी पत्र दिनांक 12.02.2020 पर विचार किया गया। विचारोपरान्त गृह विज्ञान विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को रू0 10,500/— के स्थान पर रू0 14,000/— एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू0 7,500/— के स्थान पर रू0 10,000/— दिये जाने की संस्तुति की गयी।

19. राष्ट्रीय सेवा योजना के कर्मचारियों द्वारा पत्र के माध्यम से अपने वेतन/मानदेय में वृद्धि किए जाने की मॉग की गयी है जिस पर विचार।

वित्त समिति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के कर्मचारियों के मानदेय सम्बन्धी प्रकरण पर विचार करते हुए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय रू0 10,500/— से बढाकर रू0 15,500/— तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मी को आउटसोर्सिंग की व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के बराबर भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

20. डा0 ए0के0 दीक्षित, समन्वयक, प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 10.02.2020 द्वारा प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।

F.O.

वित्त समिति डा0 ए0के0 दीक्षित, समन्वयक, प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 10.02.2020 द्वारा प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि सम्बन्धी प्रकरण पर विचार किया। विचारोपरान्त मानदेय वृद्धि न किये जाने की संस्तुति की गयी।

21. अध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र दिनांक 10.02.2020 द्वारा विभाग के वार्षिक बजट सत्र 2020—21 को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र दिनांक 10.02.2020 द्वारा प्रेषित विभाग के वार्षिक बजट सत्र 2020—21 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

22. प्रो0 द्वारका नाथ, समन्वयक, पी0जी0योग डिप्लोमा, दर्शन शास्त्र विभाग के पत्र दिनांक 03.02.2020 द्वारा पी0जी0योग डिप्लोमा के बजट प्रस्ताव 2018—19 को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में विचार।
वित्त समिति प्रो0 द्वारका नाथ, समन्वयक, पी0जी0योग डिप्लोमा, द्वारा प्रेषित पी0जी0योग डिप्लोमा के बजट प्रस्ताव सत्र 2018—19 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

23. प्रो0 सतीश चन्द्र पाण्डेय, अध्यक्ष, रक्षा अध्ययन विभाग के पत्र दिनांक 21.12.2019 द्वारा आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन में पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अनुमानित वार्षिक बजट सत्र 2019—20 को वित्त समिति की संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विचार।
वित्त समिति द्वारा प्रो0 सतीश चन्द्र पाण्डेय, अध्यक्ष, रक्षा अध्ययन विभाग के प्रेषित आपदा प्रबन्धन में पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अनुमानित वार्षिक बजट सत्र 2019—20 को पारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

24. कुलसचिव के टीप दिनांक 19.12.2019 द्वारा मा0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ में वादों की पैरवी हेतु राजेश चतुर्वेदी के दर निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा कुलसचिव के प्रस्ताव दिनांक 19.12.2019 जो मा0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ में विश्वविद्यालय के वादों की पैरवी हेतु एडवोकेट श्री राजेश चतुर्वेदी के द्वारा दिये गये दरों को स्वीकृत किया गया जो निम्नवत् है—

(i) कौंसिल फीस	**— 1500 प्रति केश**
(ii) क्लैरिकेज	**— 270 प्रति केश**
(iii) मिसलेनियस व्यय (डाक्यूमेन्टेशन / टाईपिंग / स्कैनिंग फोटो कापी इत्यादि)	**— 500 प्रति केश**
(iv) अंतिम निर्णय / आदेश की प्रमाणित प्रति	**— 150 प्रति केश**

25. वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 के कार्यवृत्त के विन्दु सं0 25 पर लिए गये निर्णय द्वारा गठित समिति के प्रस्तुत संस्तुतियों पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 के विन्दु सं0 25 पर लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, अंकसुधार / बैकपेपर परीक्षा, बी0एड0, बी0पी0एड0, डेण्टल परीक्षा, नर्सिंग परीक्षा इत्यादि के मूल्यांकन कार्य में नियुक्त समन्वयक, सह—समन्वयक, कर्मचारियों के पारिश्रमिक / पाली के रूप में भुगतान सम्बन्धी नितिगत निर्णय तथा मूल्यांकन केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुतियों पर वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आंशिक संशोधन के साथ निम्नवत् स्वीकार किया गया—

1. **बैक पेपर / अंकसुधार एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु—**

- समन्वयक — एक
- सहसमन्वयक — दो (विशेष आवश्वयकतानुसार एक सह समन्वयक बढ़ाए जा सकते है, किन्तु मा0 कुलपति जी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी)
- तृतीय श्रेणी कर्मचारी — तीन (अधिकतम)
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी — तीन (अधिकतम)

F.O.

- दैनिक मजदूर – चार (अधिकतम)

मूल्यांकन कार्य अधिकतम 30 (तीस) दिनों में पूर्ण कराया जाएगा जिसके लिए दो पाली प्रतिदिन देय होगा साथ ही किसी मूल्यांकन केन्द्र पर उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या सामान्य से अधिक होने पर या विशेष परिस्थिति के कारण मूल्यांकन केन्द्र/अवधि मूल्यांकन केन्द्र अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिन तक और चलाया/बढाया जा सकेगा। जिसके लिए 30 (तीस) दिनों के लिए दो पाली प्रतिदिन के पश्चात् शेष 15 (पन्द्रह) दिन प्रतिदिन एक ही पाली देय होगा।

2. (क) **बी0एड0, एम0एड0, बी0पी0एड0 की परीक्षाओं में उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु–**

मूल्यांकन कार्य अधिकतम 30 (तीस) दिनों में पूर्ण कराया जाएगा जिसके लिए दो पाली प्रतिदिन देय होगा। साथ ही किसी विशेष परिस्थिति के कारण मूल्यांकन केन्द्र/अवधि मूल्यांकन केन्द्र अधिकतम 10 (दस) दिन तक और चलया/बढाया जा सकेगा। जिसके लिए 30 (तीस) दिनों के लिए दो पाली प्रतिदिन के पश्चात् शेष 10 (दस) दिन प्रतिदिन एक ही पाली ही देय होगा।

(ख) एल0 एल–बी0 (एक सेमेस्टर हेतु), बी0ए0 एल0एल–बी0, एल0एल0एम0, बी0जे0, पी0जी0 डिप्लोमा इन योग, बी0एस–सी0, एम0एल0टी0, बी0पी0टी0, नर्सिंग, डेण्टल की परीक्षाओं में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु–

मूल्यांकन कार्य अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों में पूर्ण कराया जाएगा जिसके लिए दो पाली प्रतिदिन देय होगा। साथ ही किसी विशेष परिस्थिति के कारण मूल्यांकन केन्द्र/अवधि मूल्यांकन केन्द्र अधिकतम 10 (दस) दिन तक और चलाया/बढाया जा सकेगा। जिसके लिए 15 (पन्द्रह) दिनों के लिए दो पाली प्रतिदिन के पश्चात् शेष 10 दिन प्रतिदिन एक ही पाली ही देय होगा।

नोट– 1. एल0एल–बी0 दो सेमेस्टर एक साथ होने पर अधिकतम 25 (पच्चीस) दिन में पूर्ण कराया जायेगा जिसके लिए दो पाली प्रतिदिन देय होगा। इससे अधिक होने पर 10 (दस) दिन और मूल्यांकन बढाया जा सकता है, जिसके लिए एक पाली देय होगा।

2. एल0एल–बी0 दो सेमेस्टर से अधिक होने पर अधिकतम 30 (तीस) दिन दो पाली देय होगा। विशेष परिस्थिति में 10 (दस) दिन और बढाया जा सकता है, जिसके लिए एक पाली देय होगा।

3. विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा (बी0ए0) में छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु–

(i) समन्वयक – एक
(ii)सहसमन्वय – चार (अधिकतम)
(iii) तृतीय श्रेणी कर्मचारी – पांच (अधिकतम)
(iv) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – चार (अधिकतम)
(v) दैनिक मजदूर – आठ (आवश्यकतानुसार 2 अतिरिक्त मजदूर मा0 कुलपति जी के अनुमति से बढाए जा सकेगें)

विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा बी0एस0सी0 एवं बी0काम. के लिए एक समन्वयक, अधिकतम तीन सहसमन्वयक, तीन तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और अधिकतम छः दैनिक मजदूर के द्वारा मूल्यांकन केन्द्र का संचालन किया जायेगा।

समय सीमा–वास्तविक लगे दिन (दो पाली प्रतिदिन)

उपरोक्त समस्त प्रावधानों/समय सीमा में मा0 कुलपति जी को किसी भी विशेष परिस्थिति/अपरिहार्यता में परिवर्तन हेतु अधिकृत किया जाता है।

26. अध्यक्ष, विधि विभाग के पत्र दिनांक 11.02.2020 द्वारा विधि विभाग में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पंचवर्षीय बी0ए0 एल–एल0बी0 (आनर्स) इंटिग्रेटेड पाठ्यक्रम के वार्षिक बजट सत्र 2019–20 के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति अध्यक्ष, विधि विभाग के पत्र दिनांक 11.02.2020 द्वारा विधि विभाग में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पंचवर्षीय बी0ए0 एल–एल0बी0 (आनर्स) इंटिग्रेटेड पाठ्यक्रम के वार्षिक बजट सत्र 2019–20 के सम्बन्ध में विचार किया। विचारोपरान्त वार्षिक बजट सत्र 2019–20 को पारित किए जाने की संस्तुति की गयी।

F.O.

27. प्रो0 दिव्या रानी सिंह, अध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 12.02.2020 द्वारा गृह विज्ञान विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बजट सत्र 2020–21 पर विचार।
वित्त समिति प्रो0 दिव्या रानी सिंह, अध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 12.02.2020 द्वारा प्रेषित गृह विज्ञान विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बजट सत्र 2020–21 पर विचार किया। विचारोपरान्त बजट सत्र 2020–21को पारित किए जाने की संस्तुति की गयी।

8. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।

(i) डा0 ए0के0 दीक्षित, समन्वयक, प्रौढ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 12.02.2020 द्वारा फैशन एसेसरी एवं क्राफ्ट डिजाइनिंग तथा एजुकेशनल इन्फारमेशन टेक्नोलाजी के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट डिप्लोमा एवं एडवांस डिप्लोमा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शुल्क वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव को शुल्क वृद्धि के विचार हेतु पूर्व गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गयी।

(ii) प्रो0 दिव्या रानी सिंह, अध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग के पत्र द्वारा विभाग में सुचारू पठन–पाठन तथा प्रस्तावित नैक मूल्यांकन के दृष्टिगत निम्नलिखित फर्निचर/उपादान/उपकरणों की विभाग में तुरन्त आवश्यकता के प्रस्ताव पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अध्यक्ष, गृह विज्ञान के प्रस्ताव को विकास समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गयी।

(iii) लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने पटल के साथ–साथ विभिन्न स्ववित्तपोषित एवं अन्य लेखाओं से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य का पारिश्रमिक रू0 1000/– प्राप्त होता है, इसे बढाकर रू0 2000/– किए जाने पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा लेखा विभाग के कर्मचारियों का जो अपने पटल के साथ–साथ स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम को या अन्य लेखाओं के रख–रखाव का कार्य करते है, उन्हें पारिश्रमिक प्राप्त रू0 1000/– को बढाकर रू0 1500/– प्रतिमाह किए जाने की संस्तुति की गयी।

(iv) सामान्य निधि के बजट वर्ष 2019–20 के फर्नीचर मद (4–II) एवं मजदूरी/सुरक्षा कर्मी/स्वच्छक मद (9अ) में आवश्यकता के दृष्टिगत बजट प्राविधान में वृद्धि पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य निधि के बजट वर्ष 2019–20 के उपरोक्त मदों में पुर्नविनियोग के फलस्वरूप बजट प्राविधान में निम्नवत् वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी। यह वृद्धि बजट के अन्य मदों बचत से समायोजित समझी जायेगी–

सं0	मद का नाम	बजट प्राविधान	संशोधित बजट प्राविधान
1.	फर्नीचर (4–II)	55,00,000	1,00,00,000
2.	मजदूरी/सुरक्षाकर्मी/माली/स्वच्छक	6,55,00,000	8,05,00,000

(v) विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि हेतु समन्वयक के प्रस्ताव दिनांक 27.07.2019 पर विचार।
वित्त समिति द्वारा औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग में कार्यरत स्टोर कीपर एवं प्रयोगशाला सहायक को देय मानदेय रू0 15,500/– तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू0 10,000/– प्रतिमाह निर्धारित करते हुए भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

14.02.2020

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

श्री अतुल कु0श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक
(से0नि0)
कार्य परिषद द्वारा नामित
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.05.2020 का कार्यवृत्त

स्थान : कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष
समय : पूर्वान्ह् 11.30 बजे
उपस्थितिः—

1. प्रो0 वी0 के0 सिंह, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर	अध्यक्ष
2. श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, वित्त नियन्त्रक, से0नि0 सिंचाई विभाग, लखनऊ (कार्य परिषद द्वारा नामित)	सदस्य
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)	सदस्य
4. कुलसचिव, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
5. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
6. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सचिव

कार्य—वृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.02.2020 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.02.2020 की कार्यवाही की सम्पुष्टि निम्नलिखित संशोधन/निदेश के साथ की गयी—
(i) **वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.02.2020 के बिन्दु संख्या 12(क) की संस्तुति को निम्नवत् संशोधित किया गया—**
''वित्त समिति द्वारा परीक्षा नियन्त्रक के प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचारोपरान्त परीक्षा के समय महाविद्यालय से नोडल सेण्टर तक उत्तर पुस्तिकाओं को पहुचानें का व्यय रू0 7.00 से बढ़ाकर रू0 10.00 प्रति किलोमीटर इस शर्त के साथ किया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षा के दृष्टिगत चार पहिया वाहन द्वारा नोडल केन्द्रों तक पहुचाया जाय। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की संस्तुति की गयी।''
(ii) **वित्त समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि रू0 500000.00 (रू0पॉच लाख) के ऊपर के ही प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जांय। यदि प्रस्ताव रू0 500000.00(रू0पॉच लाख)से कम के हैं तो माननीय कुलपति जी की स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्ताव का निस्तारण किये जाने की संस्तुति की गयी।**

2. प्रो0 विजयशंकर वर्मा, अध्यक्ष, गणित एवं सांख्यिकी विभाग के पत्र द्वारा प्रो0राम निवास मेमोरियल ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा गणित एवं सांख्यिकी विभाग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र अथवा छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु रू0 5 लाख ड्राफ्ट सं0842546 दिनांक 13.3.2020 द्वारा दिया गया है जो विश्वविद्यालय के सामान्य खाते में जमा कराया गया है। छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु एक पृथक खाता खोलकर उसके ब्याज की धनराशि से छात्रवृत्ति दी जानी है के अनुमोदन तथा उक्त के निमित्त एक पृथक खाता खोले जाने के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रो0 रामनिवास मेमोरियल ट्रस्ट,लखनऊ द्वारा गणित एवं सांख्यिकी विभाग में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान करने सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया साथ ही यह ~~भी नियत किया गया~~ कि कार्यपरिषद से अनुमोदन के पश्चात ही यह व्यवस्था लागू होगी। उक्त के निमित्त एम0ओ0यू0 की समीक्षा करते हुए आवश्यक संशोधन कर लिया जाय।

3. विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत सेमिनार/संगोष्ठी आयोजन पर होने वाले व्यय विश्वविद्यालय के सामान्य निधि के सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला मद से किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा यह निश्चय किया गया कि वैश्विक महामारी कोविड—19 के कारण किसी भी तरह के सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन न किये जायं एवं उसके स्थान पर वेबिनार का आयोजन किये जाने की संस्तुति की गयी। साथ ही पूर्व वित्तीय वर्षो में विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किये जा चुके सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला के देयकों का भुगतान नियमानुसार विश्वविद्यालय के सामान्य निधि के सेमिनार/संगोष्ठी/कार्यशाला मद से किये जाने की संस्तुति की गयी।

4. अध्यक्ष, कर्मचारी वेलफेयर एशोसिएशन के द्वारा प्रस्तुत कर्मचारियों के ग्रीष्म कालीन/शीतकालीन वर्दी की आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य हस्तकरघा निगम लिमिटेड/यू0पी0 हैण्डलूम गोलघर, गोरखपुर के प्रस्तुत पत्र जिसमें वर्दी की दरों में वृद्धि का उल्लेख है, पर विचार।

29.05.2020 FO. 29/5

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति अध्यक्ष कर्मचारी वेलफेयर एशोसिएशन के माध्यम से प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य हस्तकरघा निगम लिमिटेड/यू0पी0 हैण्डलूम गोलघर, गोरखपुर के पत्र, जिसमें वर्दी की दरों में वृद्धि का उल्लेख है उसे वैश्विक महामारी कोविड–19 के दृष्टिगत स्थगित रखे जाने तथा पूर्व दर पर ग्रीष्म कालीन वर्दी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को क्रय कर दिये जाने की संस्तुति की गयी।

5. विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.5.2020 में प्रवेश परीक्षा शुल्क की दरों में कमी करने पर विचार।

विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.5.2020 में प्रवेश परीक्षा शुल्क की दरों में कमी के प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा शुल्क में 20 प्रतिशत की कमी करते हुए स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के शुल्क में निम्नवत कमी किये जाने की संस्तुति की गयी–

<u>स्नातक प्रवेश परीक्षा शुल्क</u>

सामान्य/ओ0बी0सी0 पूर्व निर्धारित शुल्क रू0 750/– को घटाकर रू0 600/– किया गया।

एस0सी0/एस0टी0 पूर्व निर्धारित शुल्क रू0 500/– को घटाकर रू0400/– किया गया।

<u>स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा शुल्क</u>

सामान्य/ओ0बी0सी0 पूर्व निर्धारित शुल्क रू0 1000/– को घटाकर रू0 800/– किया गया।

एस0सी0/एस0टी0 पूर्व निर्धारित शुल्क रू0 750/– को घटाकर रू0 600/– किया गया।

6. उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–6/2020/बी–1–218/दस–2020–23/2020 दिनांक 18 मई,2020 द्वारा कोविड–19 के कारण प्रदेश में लाकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में व्यय प्रबन्धन एवं मितव्यियता के लिए जारी दिशानिर्देश पर विचार।

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–6/2020/बी–1–218/दस–2020–23/2020 दिनांक18 मई,2020 द्वारा कोविड–19 के कारण प्रदेश में लाकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में व्यय प्रबन्धन एवं मितव्यियता के लिए जारी दिशानिर्देश पर विचार किया गया। विचारोपरान्त शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश को शत् प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की संस्तुति की गयी।

7. विश्वविद्यालय परिसर में लगाये गये रिलायन्स टावरों के किराया निर्धारण के प्रकरण पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में लगाये गये रिलायन्स टावरों के लिये रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार)मात्र प्रतिमाह प्रतिटावर किराया निर्धारित करते हुए सम्बन्धित पक्षों के बीच आवश्यक अनुबन्ध निष्पादित करा लिये जाने की संस्तुति की गयी।

8. विश्वविद्यालय में लगे बी0एस0एन0एल0 टावर के किराया निर्धारण पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में लगाये गये बी0एस0एन0एल0 टावरों के लिये रू0 25,000.00 (रू0 पचीस हजार) मात्र प्रतिमाह प्रतिटावर किराया निर्धारित करते हुए सम्बन्धित पक्षों के बीच आवश्यक अनुंबन्ध निष्पादित करा लिये जाने की संस्तुति की गयी।

9. विश्वविद्यालय के छात्र शिवशंकर गौड़ एवं अन्य छात्रों के आवेदन पत्र दिनांक 28.4.2020 द्वारा छात्रसंघ कोष से कोविड–19 महामारी में समाज की सेवा हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में धन दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के छात्र शिवशंकर गौड़ एवं अन्य छात्रों के प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र पर विचार किया गया। सम्यक रूप से विचारोपरान्त प्रस्ताव वित्तीय प्राविधनों के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

10. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।

(i) विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के तहत भविष्य निधि एवं अन्य सम्बन्धित योजनाओं का लाभ देने सम्बन्धी कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन गोरखपुर के पत्र पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उक्त पत्र में निहित प्राविधानों का विश्वविद्यालय में अनुपालन सुनिश्चित करनें तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुपालन हेतु कुलसचिव के माध्यम से समस्त महाविद्यालयों को पत्र लिखे जाने की संस्तुति की गयी।

(ii) विश्वविद्यालय के अति आवश्यक सेवाओं में लगे हुए आउटसोर्सिंग के कार्मिकों के लिये आवास उपल्ब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।

29.05.2020 F.O. 29/5

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत आउट सोर्सिंग एजेन्सी जे0जे0जे0 इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा0लि0,गोरखपुर को अति आवश्यक सेवाओं में जुड़े कार्मिक के आवास व्यवस्था हेतु एक अदद आवास अस्थाई रूप से आवंटित किये जाने की सहमति प्रदान की गयी। उक्त के निमित्त एजेन्सी द्वारा रू0 1000/– मकान किराया तथा विद्युत व्यय विश्वविद्यालय कोष में प्रतिमाह की दर से जमा करना होगा। विश्वविद्यालय जब चाहे उक्त व्यवस्था को समाप्त कर सकता है।

(iii) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्र 2020–21 में वैश्विक महामारी कोविड–19 के लिए बजट प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

वैश्विक महामारी कोविड–19 से विश्वविद्यालय परिसर को सुरक्षित रखने के लिये सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय कोविड–19 फण्ड के नाम से अतिरिक्त बजट की मंजूरी के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। विश्वविद्यालय इस मद पर रू0 10,00,000.00(रू0दस लाख) मात्र खर्च करेगा। इस मद के लिये निर्धारित बजट विश्वविद्यालय के विभागों व परिसर में सेनेटाइजर के साथ–साथ फेस मास्क,थर्मल स्कैनर आदि के क्रय पर खर्च होगा।

(iv) उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 619/सत्तर–1–2020–15(32)/81 दिनांक 8मई,2020 द्वारा कोविड–19 के कारण प्रभावी लाकडाउन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

वित्त समिति द्वारा उक्त शासनादेश का अवलोकन किया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 28.04.2011 द्वारा वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के पारिश्रमिक की निर्धारित अधिकतम सीमा रू0 40,000.00(रू0.चालीस हजार)मात्र को वर्तमान समय में आवश्यकताओं एवं परिस्थिति का आंकलन करते हुए विश्वविद्यालय सत्र 2019–20 हेतु अधिकतम सीमा रू0 60,000.00 (रू0 साठ हजार) मात्र तक संशोधित किये जाने से अवगत होते हुये उक्त को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

श्री अतुल कु0 श्रीवास्तव
(से0नि0 वित्त नियन्त्रक)
कार्य परिषद द्वारा नामित
सदस्य

29.05.2020
वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.09.2020 का कार्यवृत्त

स्थान : कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष (जूम एप)

समय : अपरान्ह् 04.30 बजे

उपस्थितिः–

1. प्रो0 राजेश सिंह, कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर — अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) — सदस्य
3. अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर (प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन) — सदस्य
4. कुलसचिव, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सदस्य
5. परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सदस्य
6. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर — सचिव

कार्य–वृत्त

1. विश्वविद्यालय की वर्ष 2020–21 के विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा (स्नातक एवं परास्नातक) हेतु समन्वयक के प्रस्ताव पर प्रवेश परीक्षा वर्ष 2020–21 के अनुमानित आय–व्यय विवरण (Budget) पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा वर्ष 2020–21 के समन्वयक द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर विचार किया गया विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी। बजट प्रस्ताव निम्नवत् है–

विन्दु सं0 –01 — अनुमानित आय

क्र0सं0	विवरण	धनराशि	अनुमानित आवेदन सं0
1.	स्नातक प्रवेश परीक्षा से	रू0 3,60,00,000.00	सा0 / पि0–50,000×600 प्रति छात्र+15,000×400 प्रति छात्र अ0जा0 / अ0ज0जा0
2.	स्नातकोत्तर प्र0 परीक्षा से	रू0 1,10,00,000.00	सा0 / पि0–10,000×800 प्रति छात्र +5,000×600 प्रति छात्र अ0जा0 / अ0ज0जा0
	कुल आय	**रू0 4,70,00,000.00**	

विन्दु सं0 –02 — अनुमानित व्यय विवरण

क्र0 सं0	मद / विवरण	धनराशि
1.	आनलाइन आवेदन पर व्यय	रू0 20,00,000.00
2.	परीक्षा पूर्व प्रिन्टिंग एंव प्रोसेसिंग	रू0 15,00,000.00
3.	गोपनीय मुद्रण	रू0 20,00,000.00
4.	परीक्षा परिणाम	रू0 15,00,000.00
5.	परीक्षा संचालन समिति का मानदेय व्यय	रू0 20,00,000.00
6.	परीक्षा केन्द्र एवं नोडल सेण्टर पर व्यय	रू0 25,00,000.00
7.	प्रश्नपत्र निर्माण पर व्यय	रू0 4,00,000.00
8.	जलपान पर व्यय	रू0 4,00,000.00
9.	विज्ञापन पर व्यय	रू0 35,00,000.00
10.	अन्य व्यय	रू0 10,00,000.00
	कुल	**रू0 1,68,00,000.00**

विन्दु सं0 –03 वर्ष 2020–21 की प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमन्य दरों का विवरण निम्नवत् है–

1. केन्द्राध्यक्ष (01) – रू0 2500.00 (प्रति पाली)
2. मुख्य नियन्ता – रू0 2000.00 (प्रति पाली)
3. सहायक नियन्ता – रू0 1500.00 (प्रति सहायक नियन्ता प्रति केन्द्र)
   (एक परीक्षा केन्द्र पर एक)

4. कोविड–19 के परिप्रेक्ष में सेनेटाइजर इत्यादि — रू0 4000.00 (प्रति परीक्षा)
5. प्रवेश परीक्षा कार्यालय पर विविध व्यय — रू0 12.00 (प्रति छात्र)
(प्रवेश परीक्षा की तैयारी से सम्बन्धित समस्त व्यय)
6. प्रवेश परीक्षा के दिन समन्वयक कार्यालय (कन्ट्रोल रूम) पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भुगतान की द
निम्नवत् होगी
(i) समन्वयक प्रवेश परीक्षा — रू0 2500.00 प्रति परीक्षा दिवस
(ii) सहसमन्वयक प्रवेश परीक्षा — रू0 2000.00 प्रति परीक्षा दिवस
(iii) तृतीय श्रेणी कर्मचारी — रू0 500.00 प्रति परीक्षा दिवस
(iv) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी — रू0 300.00 प्रति परीक्षा दिवस
7. परीक्षा के दिन गोपनीय सामग्री को केन्द्र पर पहुचानें हेतु कार्य कर रहे (तृतीय एवं चतुर्थ श्रे
कर्मचारियों) को रू0 500.00 एवं रू0 300.00 प्रति पाली।
8. परीक्षा के दिन गोपनीय सामग्री को पहुचाने हेतु विश्वविद्यालय की स्वीकृति दर पर गाड़ियों की व्यवस्
समन्वयक द्वारा की जायेगी।
9. अन्य के सम्बन्ध में वित्त समिति 13.06.2019 द्वारा स्वीकृति दर लागू होगा।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सदस्य

अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

दिनांक 26.11.2020 को पूर्वान्ह 11.15 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति कान्फेन्स कक्ष में वित्त समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त

उपस्थितिः—

1. प्रो० राजेश सिंह, कुलपति, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर — अध्यक्ष
2. अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) — सदस्य
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) — सदस्य
4. कुलसचिव, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर — सदस्य
5. परीक्षा नियन्त्रक, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर — सदस्य
6. वित्त अधिकारी, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर — सचिव

कार्यसूची विन्दु सं0—01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.05.2020 के सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्ति की सम्पुष्टि पर विचार।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के वित्त समिति दिनांक 29.05.2020 सम्पन्न हुई बैठक संलग्नक—2 (पृष्ठ सं0 1—3) पर उपलब्ध है। कार्यवृत्ति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी है सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर पुष्टि की जा चुकी है।
कार्यवृत्ति पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

"वित्त समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 29.05.2020 के कार्यवृत्ति की पुष्टि की।"

कार्यसूची विन्दु सं0—2

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.05.2020 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना—

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.05.2020 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से वित्त समिति निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई।

पारित विन्दुवार संकल्प संख्या	पिछले बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिए गये निर्णय	पिछली बैठक में लिए गये निर्णय की कार्यवाही
1.	संलग्नक 1 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 1	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
2.	संलग्नक 1 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 2	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
3.	संलग्नक 1 पृष्ट सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 3	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
4.	संलग्नक 1 पृष्ट सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 4	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
5.	संलग्नक 1 पृष्ट सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 5	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
6.	संलग्नक 1 पृष्ट सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 6	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
7.	संलग्नक 1	संलग्नक 2	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे

	पृष्ठ सं0 1	विन्दु सं0 7	जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
8.	संलग्नक 1 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 8	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
9.	संलग्नक 1 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 9	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
10.(i)	संलग्नक 1 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 10 (i)	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
10 (ii)	संलग्नक 1 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 10 (ii)	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
10 (iii)	संलग्नक 1 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 10 (iii)	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।
10 (iv)	संलग्नक 1 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 2 विन्दु सं0 10 (iv)	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।

कार्य सूची विन्दु सं0–3

वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.09.2020 के सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्ति की सम्पुष्टि पर विचार।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के वित्त समिति दिनांक 21.09.2020 सम्पन्न हुई बैठक संलग्नक–4 (पृष्ठ सं0 1–2) पर उपलब्ध है। कार्यवृत्ति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी है सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर पुष्टि की जा चुकी है।

कार्यवृत्ति पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

"वित्त समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 21.09.2020 के कार्यवृत्ति की पुष्टि की।"

कार्यसूची विन्दु सं0–4

वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.09.2020 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना–

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.09.2020 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से वित्त समिति निम्न विवरण से अवगत हुई।

पारित विन्दुवार संकल्प संख्या	पिछले बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिए गये निर्णय	पिछली बैठक में लिए गये निर्णय की कार्यवाही
1 (1)	संलग्नक 3 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 4 विन्दु सं0 1 (1)	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने की प्रक्रियाधीन है।
1 (2)	संलग्नक 3 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 4 विन्दु सं0 1 (2)	आगामी कार्यपरिषद की बैठक में रखे जाने की प्रक्रियाधीन है।
1 (3)	संलग्नक 3 पृष्ठ सं0 1	संलग्नक 4 विन्दु सं0 1 (3)	**वित्त समिति की निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।**

<u>कार्यसूची विन्दु सं0–5</u>

प्रो0 विजय चहल, सचिव क्रीड़ा परिषद एवं अध्यक्ष, क्रीड़ा परिषद के संयुक्त हस्ताक्षर के पत्र दिनांक 08.07.2020 जो क्रीड़ा परिषद के नाम खाता खोलवाने से सम्बन्धित है पर मा0 कुलपति जी की खाता खोलवाने की दी गयी अनुमति से अवगत होना।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की विभिन्न दैनिक जरूरतों हेतु किए जाने वाले विविध व्यय हेतु सचिव क्रीड़ा परिषद के पत्र दिनांक 08.07.2020 के द्वारा इलाहाबाद बैंक, विश्वविद्यालय शाखा में खाता खोलवाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिस पर मा0 कुलपति जी द्वारा अनुमत प्रदान किया गया। (संलग्नक–05)

अतः प्रकरण वित्त समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

"वित्त समिति उपरोक्तानुसार खाता खोले जाने हेतु मा0 कुलपति जी की अनुमति से अवगत हुई।"

<u>कार्यसूची विन्दु सं0–6</u>

विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पत्र दिनांक 01.07.2020 जो स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम M.Sc.(Electronices) के सत्र 2020–21 के वित्तीय बजट से सम्बन्धित है पर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संलग्न पत्र के द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम M.Sc.(Electronices) के सत्र 2020–21 का वित्तीय बजट (संलग्नक पृष्ठ सं0–6) तैयार किया गया है।

अतः प्रकरण वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

"वित्त समिति ने उक्त प्रकरण पर विचार किया। विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सत्र 2020–21 के अनुमानित आय–व्ययक (बजट) को यथावत स्वीकार किये जाने की संस्तुति की।"

<u>कार्यसूची विन्दु सं0–7</u>

विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु परीक्षा खाता सं0–500070332475 से सामान्य खाता सं0–20189224709 में रू0 2,41,00,000=00 (रू0 दो करोड़ इकतालीस लाख मात्र) मा0 कुलपति जी की स्वीकृति दिनांक 28.09.2020 को प्राप्त कर हस्तान्तरित किया गया से अवगत होना।

विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु शासन से दूसरी किस्त प्राप्त न होने पर वेतन मद वचनवद्ध व्यय होने के कारण परीक्षा खाते से रू0 2.41 करोड़ (रू0 दो करोड़ इकतालीस लाख मात्र) को सामान्य खाता सं0–20189224709 में मा0 कुलपति जी की हस्तान्तरण अनुमति से हस्तान्तरित किया गया।

अतः वित्त समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

"वित्त समिति उपर्युक्त हस्तानान्तरण से अवगत हुई।"

<u>कार्यसूची विन्दु सं0–8</u>

विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु प्रवेश परीक्षा खाता सं0–20189383929 से ऋण के रूप में सामान्य खाता सं0–20189224709 में रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़ मात्र) मा0 कुलपति जी की स्वीकृति दिनांक 28.09.2020 को प्राप्त कर हस्तान्तरित किया गया से अवगत होना।

विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु शासन से दूसरी किस्त प्राप्त न होने पर वेतन मद वचनवद्ध व्यय होने के कारण प्रवेश परीक्षा खाते से रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़ मात्र) को ऋण के रूप में सामान्य खाता सं0–20189224709 में मा0 कुलपति जी की हस्तान्तरण अनुमति से हस्तान्तरित किया गया।

अतः वित्त समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

"वित्त समिति उपर्युक्त हस्तानान्तरण से अवगत हुई।"

कार्यसूची विन्दु सं0–9

विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु परीक्षा खाता सं0–500070332475 से सामान्य खाता सं0–20189224709 में रू0 1.87 करोड़ (रू0 एक करोड़ सत्तासी लाख मात्र) मा0 कुलपति जी की स्वीकृति दिनांक 31.10.2020 को प्राप्त कर हस्तान्तरित किया गया से अवगत होना।

विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु शासन से दूसरी किस्त प्राप्त न होने पर वेतन मद वचनवद्ध व्यय होने के कारण परीक्षा खाते से रू0 1.87 करोड़ (रू0 एक करोड़ सत्तासी लाख मात्र) को सामान्य खाता सं0–20189224709 में मा0 कुलपति जी की अनुमति से हस्तान्तरित किया गया।

अतः वित्त समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

"वित्त समिति उपर्युक्त हस्तानान्तरण से अवगत हुई।"

कार्यसूची विन्दु सं0–10

विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु आनलाइन प्रवेश खाता सं0–50069511844 से सामान्य खाता सं0–20189224709 में रू0 1.10 करोड़ (रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र) मा0 कुलपति जी की स्वीकृति दिनांक 10.11.2020 को प्राप्त कर हस्तान्तरित किया गया से अवगत होना।

विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु शासन से दूसरी किस्त प्राप्त न होने पर वेतन मद वचनवद्ध व्यय होने के कारण आनलाइन प्रवेश खाते से रू0 1.10 करोड़ (रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र) को सामान्य खाता सं0–20189224709 में मा0 कुलपति जी की अनुमति से हस्तान्तरित किया गया।

अतः वित्त समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

"वित्त समिति उपर्युक्त हस्तानान्तरण से अवगत हुई।"

कार्यसूची विन्दु सं0–11

नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 10–12 दिसम्बर, 2020 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय वेबीनार के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रस्तावित पॉच समानान्तर तकनीकी सत्रों के सफल आयोजन हेतु सम्बन्धित व्ययों से अवगत होना।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के संर्वागीण विकास को गति देने के लिए नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 10–12 दिसम्बर, 2020 तक राष्ट्रीय वेबीनार/सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें पॉच तकनीकी सत्र समानान्तर रूप से चलेगें। उन पॉचों तकनीकी सत्रों का आयोजन अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास, अपर मुख्य सचिव लघु उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव पर्यटन, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव सिचाई को समन्वयक का दायित्व दिया गया है। उक्त के सफल आयोजन के लिए कार्यहित में निम्न विवरण के अनुसार मा0 कुलपति जी की अनुमति से क्रय की कार्यवाही की गयी है।

(i) विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले मेगा वेबीनार के लिए 100 एम0बी0पी0एस0 की व्यवस्था हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड को रू0 10,55,383.00 (रू0 दस लाख पचपन हजार तीन सौ तिरासी मात्र) का भुगतान किया गया है। (संलग्नक–7) (पृष्ठ सं0 01–04)

(ii) पूर्वांचल वेबिनार को सफल बनाने के लिए उपकरणों/पोडियम/प्रोजेक्टर/हार्डवेयर/कम्प्यूटर इत्यादि हेतु गठित समितियों के द्वारा (संलग्न–08) (पृष्ठ सं0 01–11) प्रस्ताव प्राप्त हुए जिसकी कुल अनुमानित लागत रू0 89,26,220/– (रू0 नवासी लाख छब्बीस हजार दो सौ बीस रूपये मात्र) है, जिस पर मा0 कुलपति जी के अनुमति से जेम पोर्टल से क्रय किये जाने की कार्यवाही की गयी।

अतः उक्त दोनों प्रकरण वित्त समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

"शासन के आदेशानुसार आयोजित होने वाले उपर्युक्त वेबीनार के सफल आयोजन हेतु वर्ष 2020–21 के प्राविधानित/पुनरीक्षित बजट के अन्तर्गत उक्त व्यय किये जाने से अवगत हुई।"

<u>कार्यसूची विन्दु सं0–12</u>

विश्वविद्यालय परिसर को क्लीन कैम्पस एवं ग्रीन कैम्पस बनाये जाने हेतु कम्पोस्ट मशीन स्थापित किये जाने के लिए कम्पोस्ट मशीन क्रय किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर को क्लीन कैम्पस एवं ग्रीन कैम्पस बनाये जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर कम्पोस्ट मशीन स्थापित किया जाना नितांत आवश्यक है जिसकी अनुमानित लागत लगभग रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) है।

अतः उक्त प्रकरण वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

"वित्त समिति ने सम्यक विचारोपरान्त प्राविधानित बजट 2020–21 के अन्तर्गत उक्त कम्पोस्ट मशीन क्रय किये जाने की संस्तुति की।"

<u>कार्यसूची विन्दु सं0–13</u>

वित्तीय वर्ष 2019–20 में परीक्षा से सम्बन्धित कापियों के मूल्यांकन के समस्त देयको को जिनका भुगतान अबतक नहीं हुआ है के कार्यवाही पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.11.2019 के संकल्प सं0 25 में निम्न निर्णय लिया गया (संलग्न–09) (विन्दु सं0–25)

"साथ ही समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में परीक्षा से सम्बन्धित कापियों के मूल्यांकन के समस्त देयकों जिनका भुगतान अबतक नहीं हुआ है, के भुगतान की कार्यवाही वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिये जाने की संस्तुति की गयी। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के किसी भी प्रकार की देयता को अगले वित्तीय वर्ष में भारित न किया जाय।"

लाकडाउन और कोविड 19 के कारण वर्ष 2019–20 के लम्बित देयों का भुगतान वित्त समिति के निर्णय के अनुसार कर दिया गया है किन्तु कुछ विभागों द्वारा कापियों के मूल्यांकन के बिल वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद प्रस्तुत किया गया, जिससे उनका भुगतान लम्बित है।

अतः प्रकरण वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

"वित्त समिति ने उपरोक्तानुसार 2019–20 के लम्बित देयों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 में किये जाने की संस्तुति की।"

<u>कार्यसूची विन्दु सं0–14</u>

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में सुपर सौ खिलाडियों को महायोगी गुरू गोरक्षनाथ फेलोशिप, शोध छात्रों डाक्ट्रेट फेलाशिप एवं शारीरिक शिक्षा खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना एवं गुरूगोरक्षनाथ अन्तर्राष्ट्रीय फेलोशिप प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समिति गठित की गयी थी। गठित समिति की अनुसंशा (संलग्नक 10) (पृष्ठ सं0 01–04), (संलग्नक–11) (पृष्ठ सं0 01–03), (संलग्नक–12) (पृष्ठ सं0 01–08) एवं (संलग्नक–13) (पृष्ठ सं0 01–03) पर विचार।

विश्वविद्यालय के शोध छात्रों, विदेशी छात्रों स्पोर्ट व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान करने एवं विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा, शिक्षा एवं विज्ञान सेण्टर खोले जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा समिति गठित की गयी थी गठित समिति की अनुसंशा (संलग्नक 10) (पृष्ठ सं0 01–04), (संलग्नक–11) (पृष्ठ सं0 01–03) (संलग्नक–12) (पृष्ठ सं0 01–08) एवं (संलग्नक–13) (पृष्ठ सं0 01–03) पर संलग्न है।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति ने सम्यक विचारोपरान्त गठित समिति की अनुसंशा को स्वीकार करते हुए निम्न संस्तुति की–

1. **सुपर सौ खिलाडियों को दिये जाने वाले महायोगी गुरूगोरक्षनाथ फेलोशिप को विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद के बजट से देय होगा।**
2. **शोध छात्रों को डाक्टरेट फेलोशिप एवं महायोगी गुरूगोरक्षनाथ अन्तर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्बन्धित प्रस्ताव का व्यय प्राविधानित बजट/पुनरीक्षित बजट एवं भविष्य मे विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाले अनुदान/आय के अर्न्तगत होगा।**
3. **शारीरिक शिक्षा, शिक्षा एवं खेल विज्ञान सेण्टर खोले जाने के प्रस्ताव से सम्बन्धी व्यय शासन से प्राप्त अनुदान/प्राविधानित बजट/पुनरीक्षित बजट के अनुसार होगा।**

<u>कार्यसूची विन्दु सं0–15</u>

कुलपति कार्यालय के लिए पूर्व से निर्धारित स्थायी अग्रिम की धनराशि रू0 10,000/– को बढाकर रू0 20,000/– निर्धारित करने एवं कुलपति कैम्प कार्यालय हेतु धनराशि रू0 20,000/– निर्धारित करने पर विचार।

कोविड 19 एवं वैश्विक महामारी के रोकथाम के दृष्टिगत कुलपति कार्यालय हेतु निर्धारत की धनराशि रू0 10,000/– अपर्याप्त होने एवं कुलपति कैम्प कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुलपति कार्यालय एवं कुलपति कैम्प कार्यालय के लिए (प्रत्येक कार्यालय के लिए रू0 20,000/–) स्थायी अग्रिम नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रकरण वित्त समिति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

"वित्त समिति ने कुलपति कार्यालय एवं कुलपति कैम्प कार्यालय हेतु यथा प्रस्तावित स्थायी अग्रिम निर्धारित किये जाने की संस्तुति की।"

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दु पर विचार :–

1. शासनादेश सं0 0214/सत्तर–4/2007(7)/94 दिनांक 04.02.2020 के आलोक में मीडिया एवं जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में एम0बी0ए0 विभाग में (स्ववित्त पोषित) में सहायक मीडिया जनसम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में।

"वित्त समिति ने मीडिया एवं जनसम्पर्क अधिकारी के प्रस्ताव दिनांक 25.11.2020 को यथावत् स्वीकार किये जाने की संस्तुति की।"

2. विश्वविद्यालय में त्रिदिवसीय सेमीनार के सफल आयोजन के लिए कुलपति जी की अनुमति से यू0पी0 डेस्को से कराये जा रहे ए0के0 एन0 हाई स्पीड कनेक्टीविटी के कार्य से अवगत होना (अनुमानित धनराशि रू0 3,92,228=00)।

"वित्त समिति यू0पी0 डेस्को से कराये जा रहे उपरोक्तानुसार कार्य से अवगत हुई।"

3. संवाद भवन, दीक्षा भवन, कन्वेशन हाल एवं कुलपति आवास इत्यादि का रंगाई पुताई एवं सुसज्जित करने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0 के प्राप्त आगणन (रू0 30,16,431.50) के दृष्टिगत उसे कार्यदायी संस्था नामित करने पर विचार।

"वित्त समिति ने सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने की संस्तुति की।"

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरान्त वित्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

वित्त अधिकारी